नागरिक नामा

वोटर कार्ड

वोटर कार्ड

वोटर कार्ड (EPIC) को सरकारी भाषा में भइलेक्टर फोटो पहचान कार्ड कहा जाता है

हमें वोटर कार्ड की जरूरत क्यों है ?

* मतदान का अधिकार इस्तेमाल करने और अपनी पसंद का प्रतिनिधि चुनने के लिए इस कार्ड की जरूरत होती है।

* इसे अपनी पहचान के सबूत के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है।

कौन वोटर कार्ड प्राप्त कर सकता है ?

18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक

वोटर कार्ड कैसे प्राप्त करें (कहाँ दरख्वास्त लगायें)

निज़ामुद्दीन बस्ती, जंगपुरा विधान सभा क्षेत्र में आती है

इस विधान सभा क्षेत्र का नं. 41 है।

वोटर कार्ड बनवाने का दफ्तर जल विहार (लाजपत नगर) में है।

उसका पता –

वोटर कार्ड दरख्वास्त दफ्तर
F.S.O आफिस काम्पलेक्स
जल विहार (लाजपत नगर – II)
नई दिल्ली – 110024

यह आफिस बस स्टाप के पीछे और MCD की इमारत के पास है।

इसमें कितना समय लगता है ?

दफ्तर में दरख्वास्त जमा करवाने के बाद करीब एक माह

दरख्वास्त के साथ कौन-कौन से दस्तावेज लगते हैं ?

- फार्म नं. 6 जो कि जलविहार दफ्तर में मिलता है। यह फार्म eci.nic.in/forms वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
- पास-पोर्ट साइज की एक फोटो
- उम्र का सबूत (पैदाइश का सर्टीफिकेट या स्कूल का सर्टीफिकेट जिसमें पैदाइश की तारीख हो)

यह दस्तावेज 18 साल से 21 साल तक की उम्र के लोगों को लगाना होगा।

21 साल से ज्यादा उम्र के लोग फार्म में जो भी उम्र लिखेंगे उसे माना जायेगा परन्तु उम्र के सबूत का दस्तावेज लगाया जाना अच्छा होगा।

निवास का सबूत

यदि आप किरायेदार है तो अपने मकान मालिक से वोटर-कार्ड दफ्तर के नाम एक पत्र लें।

इस पत्र के साथ मकान मालिक की पहचान का सबूत लगा होना चाहिए और उसमें पता होना चाहिए।

जरूरी दास्तावेज न होने पर क्या होगा ?

पते का सबूत न होने पर –

- वोटर-कार्ड-दफ्तर से एक कर्मचारी भेजा जायेगा जो आपके द्वारा दरख्वास्त में लिखे पते पर आकर उसकी तस्तीफ करेगा।
- जिनके घर नहीं हैं उन्हें भी वोटर-कार्ड देने की सरकार की कानूनी जिम्मेदारी है
- परन्तु सरकार यह जिम्मेदारी तभी निभायेगी जब आप फार्म-६ भरते समय इस पते को लिखेंगे। और अन्य दस्तावेजों, मसलन आधार कार्ड या इसी तरह के अन्य किसी दस्तावेज को सबूत के तौर पर लगायेंगे।

समस्यायें जो आ सकती है

आपके वोटर कार्ड में गल्ती होने पर क्या हो ?

1. गल्ती सुधारने के लिए फार्म-8 भरना होगा और जलविहार दफ्तर में जमा करवाना होगा। इसमें नाम के हिज्जे की गल्ती, पते में गल्ती इत्यादि का खुलासा करना होगा।

2. वोटर कार्ड में सुधार के लिए, सबूत साथ लगाना होगा। मसलन,

- पते में सुधार के लिए - पते का सबूत
- पैदाइश की तारीख में सुधार के लिए - पैदाइश सर्टीफिकेट
- नाम के हिज्जे में सुधार के लिए - पहचान का सबूत

3. फार्म-8 के साथ रू 25/- फीस जमा करवानी होगी

वोटर कार्ड खोने पर क्या हो ?

1. आप फार्म-2 भरकर डुप्लीकेट-वोटर कार्ड के लिए दरख्वास्त कर सकते हैं। इसकी फीस रू 25/- जलविहार दफ्तर में जमा करनी होगी।

2. वोटर कार्ड खोने की सूचना आपको पुलिस थाने में देनी होगी एक फोटो कापी इस सूचना की अपने पास रखें और एक फोटोकापी फार्म-2 के साथ लगायें।

दिल्ली के अलावा अन्य राज्य का वोटर कार्ड होने पर

- जिस राज्य का वोटर कार्ड आपके पास होगा आप उसी राज्य में वोट कर सकतें हैं।
- अन्य राज्यों का वोटर कार्ड होने पर आप दिल्ली में वोट नहीं डाल सकते।
- यदि आप दिल्ली में निवास करते है और यहाँ वोट करना चाहते हैं तो आपको नये वोटर-कार्ड बनवाने के लिए फार्म-6 में दरख्वास्त करनी होगी। इसकी कार्यवाही वैसी ही होगी जैसी ऊपर बतलाई गई है।

क्या दो वोटर कार्ड रख सकते है ?

नहीं

वोटर कार्ड से जुड़ी समस्याओ के लिए कहाँ जाये

1. हेल्पलाइन 1950 या 2391888 पर काल करके अपनी समस्या के कारण को समझ सकते हैं।

2. जंगपुरा के “वोटर कार्ड दरख्वास्त आफिस” में 011-29821555 या 9718222822 पर काल करके अपनी समस्या बता सकते हैं।

पता

SDM (उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट) साउथ जोन
उप मंडल डिफेंस कालोनी
B.D.O. office, अनुपम अपार्टमेंट के पास
M.B. रोड, नई दिल्ली-110017
फोनं नं. पर 011-28536773,
011-26568772

3. यदि हेल्प लाइन और जंगपुरा आफिस के नंबरों से आपकी समस्या नहीं सुलझती तो आप SDM (उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट) साउथ जोन के आफिस पर दरख्वास्त लगा सकते हैं या मुलाकात करके अपनी समस्या बता सकते हैं।